

GOVERNMENT OF INDIA DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE NUCLEAR RECYCLE BOARD



Opening date: 01.04.2022 ADVERTISEMENT NO. 01/2022(NRB) Closing date: 30.04.2022.

"GOVERNMENT STRIVES TO HAVE A WORKFORCE WHICH REFLECTS GENDER BALANCE AND WOMEN CANDIDATES ARE ENCOURAGED TO APPLY."

ONLINE APPLICATIONS ARE INVITED FOR STIPENDIARY TRAINEES CATEGORY— I & II FOR TRAINING IN NRB, TarapurKalpakkamand PRPD, Kalpakkam.

Stipendiary Trainee Category-I Total No. of posts: 71 (UR-27, EWS-8, OBC-18, SC-10, ST-7 & PWD-1)

Post	Discipline			I	No. of	Posts			Educational /Technical Oscillantics	
No.	Discipinie	UR	EWS	OBC	SC	ST	PwBD	Total	Educational /Technical Qualification	
1.1	Chemical	5	1	2	0	0	0	8	Diploma* in Chemical Engineering	
1.2	Chemistry	2	0	0	0	0	0	2	Minimum 60% marks in B.Sc.	
									(Chemistry as principal and Physics and Mathematics as subsidiary subjects)	
1.3	Civil	2	0	2	1	0	0	5	Diploma* in Civil Engineering	
1.4	Electrical	2	1	6	2	2	0	13	Diploma* in Electrical Engineering	
1.5	Electronics	1	0	1	1	1	0	4	Diploma* in Electronics/Electronics& Instrumentation / Electronics & Communication Engineering	
1.6	Instrumentation	1	1	2	1	1	1#	7	Diploma* in Electronics & Instrumentation / Instrumentation Engineering/Instrumentation Technology/Instrumentation & Control Engineering	
1.7	Mechanical	14	5	5	5	3	0	32	Diploma* in Mechanical Engineering	

^{*}Acquired Diploma 3 years after SSC or 2 years after HSC. with minimum of 60% marks in aggregate in Diploma.

[#] This post is identified for Persons with Benchmark Disability - Orthopedically Handicapped (OH-OL). Person with benchmark disability means a person with not less than 40% of specified disability.

	Stipendiary Trainee Category-II Total No. of posts: 189 (UR-118, EWS-14, OBC-33, SC-23 & PWD-1)							
Post	Trade	luiai y	1 I aine	No. o			10.01	Educational /
No.	Trauc	UR	EWS		SC	PwBD	Total	Technical Qualification
2.1	A/C Mechanic	10	0	3	2	0	15	For Posts 2.1 to 2.8
2.2	Electrician	16	0	3	6	0	25	SSC with a minimum 60% marks in aggregate PLUS Trade certificate in A/C
2.3	Electronic Mechanic	13	0	3	1	1@	18	Mechanic; Electrician; Electronic Mechanic; Fitter; Instrument Mechanic; Machinist; Turner; Welder.
2.4	Fitter	46	8	9	3	0	66	
2.5	Instrument	8	1	2	2	0	13	The candidates should meet any of the following requirements as regards Trade Certificate:
	Mechanic							1. NTC (ITI pass out) of two year duration.
2.6	Machinist	6	1	2	2	0	11	OR
2.7	Turner	4	0	0	0	0	4	NAC of Two years duration under Apprenticeship Training Scheme OR
2.8	Welder	3	0	0	0	0	3	NTC (ITI pass out) of one year duration plus one year work experience after the completion of course.
2.9	Draftsman (Mechanical)	2	0	0	0	0	2	OR 4. NTC (ITI pass out) of one-year duration plus NAC of minimum one year duration under Apprenticeship Training Scheme.
								SSC (with minimum 60% marks) OR HSC in Science stream (with Physics, Chemistry and Maths subjects) with a minimum 60% marks in aggregate. AND Certificate of One year duration in <u>Draughtsman (Mechanical)</u> issued by Technical Education Board of State Government or NTC (ITI pass out) of two year duration.
2.10	Laboratory Assistant	0	0	2	2	0	4	HSC in Science stream (with Physics, Chemistry and Maths subjects) with a minimum 60% marks in aggregate OR SSC with a minimum 60 % marks in aggregate PLUS Trade certificate in Laboratory Assistant. The candidates should meet any of the following requirements as regards Trade Certificate: 1. NTC (ITI pass out) of two years duration. OR 2. NAC of two years duration under Apprenticeship Training Scheme. OR 3. NTC (ITI pass out) of one year duration plus one year work experience after the completion of course. OR 4. NTC (ITI pass out) of one year duration plus NAC of minimum one year duration under Apprenticeship Training Scheme.
2.11	Plant Operator	10	4	9	5	0	28	HSC in Science stream (with Physics, Chemistry and Maths subjects) with a minimum 60% marks in aggregate.

Educational/Technical Qualification should be from a recognized University/Board of Technical Education of Central or State Government. Last date for submission of online Application: 30.04.2022.

(a)This post is identified for Persons with Benchmark Disability - Orthopedically Handicapped (OH-OL). Person with benchmark disability means a person with not less than 40% of specified disability.

Age Limit: (as on 30.04.2022)

A 90	Stipendiary Trainee						
Age	Category-I	Category-II					
Minimum	18 years	18 years					
Maximum	24 years	22 years					

Note: Only SSC/Matriculation/HSC Certificate or Birth Certificate issued by Appropriate Government Authority will be accepted as proof of Date of Birth.NO SUBSEQUENT REQUEST FOR CHANGE IN DATE OF BIRTH SHALL BE ENTERTAINED.

Upper age limit prescribed above is relaxable as under:

- (a) Upto a maximum of five years for SC/ST candidates and three years for OBC candidates.
- (b) Relaxation in the Upper age limit of 5 years shall be admissible to children/family members of those who died in the 1984 Riots.
- (c) Age relaxation is applicable to PwBD candidates as per Government rules.
- (d) Widows, divorced women and women judicially separated from their husbands and who are not re-married are eligible for relaxation in the upper age limit as per Government orders, only for the posts under Stipendiary Trainee (Category-II)[viz. for the Post Nos. 2.1 to 2.11]
- (e) Age relaxation is not applicable for SC/ST/OBC candidates applying against Un-reserved(UR) posts or EWS posts.

Physical Standards: Minimum Height: 160 cms. Minimum weight: 45.5 Kgs. (Relaxable if the candidate is otherwise medically fit)

Total Duration of Training Period: Two years

Stipend during Training:

Stipend (per month)	Category-I	Category-II
1 st year	Rs.16000/-	Rs.10,500/-
2 nd year	Rs.18000/-	Rs.12,500/-

Selection Method

<u>CATEGORY-I</u>: Written Examination of one hour duration will be conducted and will comprise of 40 objective (multiple) type questions. '3' marks for each correct answer and '1' mark will be deducted for each incorrect answer. The syllabus for the said examination will be based on subjects at Diploma/B.Sc. level as the case may be. Those candidates qualifying in the written examination shall be short-listed for interview. NRB reserves the right to restrict number of candidates to be called for interview.

FINAL SELECTION WILL BE BASED ON THE PERFORMANCE OF THE CANDIDATE IN THE INTERVIEW ALONE.

<u>CATEGORY-II:</u> The selection process will consist of tests in 3 stages – Stage 1, Stage 2 & Stage 3.

Stage :1 - Preliminary Test: Screening examinations to be held to shortlist candidates. The format of the screening examinations will be common for all Trades and will be in the following format:

1. Examination will consist of 50 multiple choice questions(choice of 4 answers) of one hour duration in the following proportion:

a. Mathematics -20 questions
 b. Science -20 questions
 c. General awareness -10 questions

- 2. '3' marks awarded for each correct answer and '1' mark will be deducted for each incorrect answer.
- 3. All candidates with marks <40% in General category and <30% in reserved category will be screened out.

Stage: 2- Advanced Test:

- 1. All candidates Screened in Stage-1 will be allowed to undertake Stage-2 (Advance Test) in their respective Trade.
- 2. The Test will comprise 50 multiple choice questions (choice of 4 answers) of two hours duration.
- 3. '3' marks awarded for each correct answer and '1' mark will be deducted for each incorrect answer.
- 4. Candidates with marks <30% in General category and <20% in reserved category will be screened out.
- 5. Merit List of candidates will be prepared after Stage-2 based upon the scores obtained in Stage-2 only.
- 6. In the event of tie, the following criteria shall be adopted in sequence for deciding the position in the merit list:
- (a) Candidate with lower negative Marks inStage-2 to be placed higher on the merit list.
- (b) Candidate with higher marks in Stage-1 to be placed higher on the merit list.

- (c) Candidate with lower negative Marks in Stage-1 to be placed higher on merit list.
- (d) Candidate with higher positive marks in Mathematics in Stage-1 to be placed higher on merit list.
- (e) Candidate with higher positive marks in Science in Stage-1 to be placed higher on merit list.
- (f) Candidate older in age as on the date of application

Candidates shall undertake the Preliminary and Advanced Test on the same day.

Stage: 3- Skill Test:

- 1. Based upon the Merit List prepared after Stage-2, candidates will be shortlisted for Stage-3 (Skill Test) in each Trade.
- 2. The number of candidates shortlisted for Skill Test will depend upon the number of candidates qualifying for Stage 2 but will not exceed 4 5 times the number of vacancies in each Trade.NRB reserves the number of candidates to be called for Stage-3 (Skill Test).
- 3. The Skill Test shall be conducted on a Go/No-Go basis for qualifying the candidates. .
- 4. Candidates clearing the Skill Test shall be shortlisted and empanelled in order of merit based on marks secured in Stage-2.
- 5. The number of candidates empanelled in Main List shall not exceed the number of vacancies advertised.
- 6. A Wait List of equal number of candidates as in the Main List shall be made for operation only in case candidates in the Main List do not report for joining.

SCOPE OF TRAINING: Selected candidates will be given training at Tarapur/Kalpakkam in various aspects of relevant disciplines/Trades, as per prescribed syllabi of each discipline/Trade and for meeting stringent requirements of NRB, Tarapur/Kalpakkamand PRPD, Kalpakkam. The candidates will not have any choice/option for any particular training programme/training place.

GRADE AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRAINING: Upon successful completion of training, the Trainees will be considered for absorption in the following grade at the time of appointment depending on their performance during the period of training and interview to be held at the end of the training.

Stipendiary Trainees	Post	Pay Level	Entry Pay
Category-I	SCIENTIFIC ASSISTANT/C(Group 'B' Non- Gazetted)	Level 7	Rs.44900
	TECHNICIAN/B (Group 'C')	Level 3	Rs.21700
Category-II	TECHNICIAN/C (Group 'C')	Level 4	Rs.25500

In addition to entry pay, allowanceswill be admissible under Central Government Rules.

PREVAILING ADDITIONAL BENEFITS:

In addition to the normal Pay and Allowances as admissible under rules, the employees of the Department of Atomic Energy are entitled for:

- **✓** Exciting working environment
- ✓ Promotions to higher grades which are covered under the Merit Promotion Scheme of DAE.
- ✓ Healthcare for self and family members.
- ✓ Attractive performance related incentives.
- ✓ Attractive professional update allowance.
- ✓ Leave Travel Concession for self and family.
- ✓ Reimbursement of Tuition fee / Departmental Accommodation as per Government of India Orders.
- ✓ Selected candidates, on their appointment, will be governed by the National Pension System (NPS).

BOND: Selected candidates will have to execute a bond to complete the training and serve NRB, BARC or any of the constituent Units of the Department of Atomic Energy, if offered appointment after the training, for a period of 3 years after absorption. A trainee who fails to complete the training or serve the Government for 3 years, if offered appointment, will be liable to pay to the Government a sum equivalent to aggregate amount of stipend received by him/her during the period of training along with interest thereon.

NATUREOF DUTIES:

The selected candidates are likely to be posted at NRB, Tarapur/Kalpakkam/Mumbaiand PRPD, Kalpakkamand its units.

		<u>CATEGORY-I</u>						
Post No.	Discipline	Nature of duties						
1.1	Chemical	Operation of process plant.						
1.2	Chemistry	Operation of Laboratory equipment and Chemical Analytical work.						
1.3	Civil	Civil Construction work.						
1.4	Electrical	Operation and Maintenance of Sub-station/HT/LT equipment.						
1.5	Electronics	Maintenance of Electronics instruments.						
1.6	Instrumentation	Maintenance of Process instruments.						
1.7	Mechanical	Operation, Fabrication and Maintenance of systems and Maintenance of Plant Utility system, material Handling equipment.						
	CATEGORY-II							
Post No.	Trade	Nature of duties						
2.1	A/C Mechanic	Operation and Maintenance of Air Conditioning System.						
2.2	Electrician	Erection, Operation and Maintenance of Electrical Equipment and Auxiliaries in Sub-station and other Installations.						
2.3	Electronic Mechanic	Fabrication, Maintenance and Operation of Electronic Equipment / Telecommunication Systems.						
2.4	Fitter	Operation, Fabrication and Maintenance of Mechanical Utility Systems.						
2.5	Instrument Mechanic	Operation and Maintenance of Instrumentation System						
2.6	Machinist	Operation of Milling, Drilling, Lathe and Shaping Machine.						
2.7	Turner	Lathe machine operation and other maintenance works						
2.8	Welder	Gas Cutting and Welding Works.						
2.9	Draftsman (Mechanical)	Computer aided symmetric drawings etc.						
2.10	Laboratory Assistant	Assistance in Chemical Analytical works.						
2.11	Plant Operator	Assistance in process of Radiochemical Plants and Operation						
	NOTE:-	DUTIES WILL INVOLVE WORKING IN ROUND-THE-CLOCK /GENERAL SHIFT						

ONLINE APPLICATIONS ARE ALSO INVITED FOR THE FOLLOWING POSTS IN NRB (Kalpakkam / Mumbai / Tarapur) and PRPD, KalpakkamTHROUGH DIRECT RECRUITMENT: Total No. of Posts: 6 [Group B – 1 and Group C – 5](UR-2, EWS-1, SC-2& PWD-1)

D. AN	NI CAL D			ľ	No. of pos	its				
Post No.	Name of the Post	UR	EWS	OBC	C SC	ST	PwBD	Total	Educational / Technical Qualification	
DR/1	Scientific Assistant/B (Safety)	1	0	0	0	0	0	1	Diploma in any engineering (with minimum 50% marks in aggregate) OR B.Sc. (with minimum 50% marks in aggregate) AND One year Diploma / Certificate in Industrial Safety	
DR/2	Technician/B (Library Science)	0	0	0	0	0	1 [*HH (PD)]	1	SSC (with minimum 60% marks in aggregate) OR HSC in Science stream (with Physics, Chemistry and Maths subjects) with a minimum 60% marks in aggregate. AND Certificate of One year duration in Library Science issued by Technical Education Board of State Government or NTC (ITI pass out) of two year duration.	
DR/3	Technician/B (Rigger)	1	1	0	2	0	0	4	SSC (with minimum 60% marks in aggregate) OR HSC in Science stream (with Physics, Chemistry and Maths subjects) with a minimum 60% marks in aggregate. AND Certificate of One year duration in Rigger Trade issued by Technical Education Board of State Government or NTC (ITI pass out) of two year duration.	

^{*} DR/2 post is identified for Persons with Benchmark Disability – Hearing Handicapped (HH) - Partially Deaf(PD).

^{&#}x27;Hearing Impairment' means loss of 60 decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies.

CRITERIA:

Age limit as on 30.04.2022:

1	Age	DR/1	DR/2 & DR/3
	Minimum	18	18
	Maximum	30	25

Note: Only SSC/Matriculation/HSC Certificate or Birth Certificate issued by Appropriate Government Authority will be accepted as Proof of Date of Birth.NO SUBSEQUENT REQUEST FOR CHANGE IN DATE OF BIRTH SHALL BE ENTERTAINED.

- (1) Upper age limit prescribed above is relaxable as per the Government Rules in vogue:
 - (a) Upto a maximum of five years for SC/ST candidates and three years for OBC candidates & age relaxation to PwBD candidates as per applicable rules.
- (b) For departmental candidates (Central Government Civilian employees) with 3 years continuous service in the same line or allied cadre,
- upper age limit will be upto 40 years for General candidates, 43 years for OBC candidates and 45 years for SC/ST candidates;
- (c)Widows, divorced women and women judicially separated from their husbands and who are not re-married are eligible for relaxation in the upper age limit as per Government orders only for the posts under Direct Recruitment(viz. for Post NoDR/3);
 - (d) Relaxation for Ex-Servicemen will be as per Government orders.;
 - (e) Relaxation for Meritorious Sportspersons will be as per Government orders;
 - (f)Relaxation in the upper age limit of 5 years shall be admissible to children/family members of those who died in the 1984 riots in India.

SELECTION METHOD:

- (1) For the post at S.No.DR/1 the selection procedure will be same as for the posts of STIPENDIARY TRAINEES (CATEGORY-I).
- (2)For the post at S.No.DR/2 selection procedure will be same as for the posts of STIPENDIARY TRAINEES (CATEGORY-II) without Stage :3 Skill Test.
- (3) For the post at S.No. DR/3selection procedure will be same as for the posts of STIPENDIARY TRAINEES (CATEGORY-II) (as indicated at page No 2&3)

EMOLUMENTS:

Post No.	Name of the Post	Pay Level	Entry Pay
DR/1	Scientific Assistant/B (Safety)	Level 6	Rs.35,400
DR/2	Technician/B (Library Science)	Level 3	Rs.21,700
DR/3	Technician/B (Rigger)	Level 3	Rs.21,700

In addition to entry pay, allowances will be admissible under Central Government Rules.

NATURE OF DUTIES:

Post No.	Name of the post	Nature of Duties
DR/1	Scientific Assistant/B (Safety)	To supervise the overall safety of plant and site.
DR/2	Technician / B(Library Science)	Arrangement / retrieval of books and documents, Maintenance of records, etc.
DR/3	Technician/B(Rigger)	Maintenance of material handling machineries, heavy material handling, etc.

HOWTO APPLY:

Applications may be submitted ONLY ONLINE by visiting the link "https://nrbapply.formflix.com"

The facility of online application will be opened from <u>01.04.2022</u>

For online submission of application, please visit the website" https://nrbapply.formflix.com".Candidates are advised to read instructions given on home page of our website

Only one application is acceptable for one post. If a candidate wishes to apply for more than one post, application and fees should be submitted separately for each post.

Candidates are advised to submit the ONLINE application well in advance without waiting for the Closing date(30.04.2022)

APPLICATION FEE: Mode of payment of the Application Fee is through Online.

- (1) For post Nos.1.1 to 1.7 and DR/1 Rs.150/-
- (2) For post Nos.2.1 to 2.11, DR/2 and DR/3 Rs.100/-

Exemption: (i) Fee is exempted for candidates belonging to SC/ST, PWD and Women category.

(ii) Fee is exempted for candidates belonging to Ex-Serviceman (only for Post Nos.DR/1 to DR/3)

The Application number will be generated after the submission of the application which is required for making online payment of the application fee and hence submission of application is mandatory before online payment of application fees. However, fee NOT paid will be treated as incomplete application and hence will be rejected.

Application fee should be paid on or before the last date of receipt of online applications. Candidates are advised to make the online payment well in advance without waiting for closing date/last date of submission of online application.

1.	The vacancies are provisional and subject to variation. The filling up of vacancies indicated in the advertisement is also subject to the approval of
	Competent Authority and may not be filled up if decided otherwise in terms of the orders issued by Government from time to time.
2.	Candidates empanelled under WAIT LIST will be offered appointment ONLY in case candidate in the MAIN LIST does not join.
3.	The validity of operation of WAIT LIST will be one year from the date of preparation of the Select Panel.
4.	The candidates will be given choice to answer the questions in written exam/Trade test/interview in Hindi or English (as applicable).
5.	The eligibility criteria including the period of experience as prescribed in the advertisement will be determined with reference to the last date (30.04.2022) of receipt of applications (as applicable).
6.	SC/ST outstation candidates called for written examination will be paid to and fro travelling allowance of second-class Railway fare by the shortest route (subject to production of tickets) as per rules. However, Travelling Allowance is not admissible to those SC/ST candidates who are alreadyin Central/State Government services, Central/State Government Corporation, Public Sector Undertakings, Local Government Institutions and Panchayats and the concession availed from Railways, if any, for undertaking journey for attending written examination. Download TA forms from < https://nrbapply.formflix.com >TA reimbursement will be subject to the production of self -attested copy of SC/ST Caste certificate and tickets/e-ticket. For this purpose, candidates are requested to download and provide the information in Annexure-6 (downloaded from the website https://nrbapply.formflix.com
7.	Candidates may ensure that they fill in the correct information. Candidates who furnish false information will be disqualified for Written Examination/Skil Test/Interview. NRB, BARC further reserves the right to reject the candidature of any applicant at any stage.
8.	Candidates are required to have a valid e-mail ID and Mobile Number. It should be kept active during the currency of this recruitment.
9.	NRB reserves the right to fill up the post or even to cancel/ restrict/ modify / alter the whole process of recruitment without issuing any further notice or assigning any reason thereof.
10.	Any subsequent Amendments/Modifications etc. on this matter will be notified only in the website https://nrbapply.formflix.com , which may be visited to by the candidates regularly.
11.	Posting of the selected candidates would be at the discretion of the Competent Authority as per the availability of vacancies. They are liable to serve in an part of India, in any constituent unit of the Department of Atomic Energy.
12.	Candidates who have not acquired/would not be acquiring the Educational qualification as on the closing date for receipt of application (30.04.2022) arendeligible and need not apply.
13.	In case Universities/Board award letter grades/CGPA/OGPA/SGPA, the same need to be indicated as equivalent percentage of marks, as per the norms adopted by that University/Board. If percentage of the marks is not indicated, the candidature will not be considered.
14.	Candidates working under the Central/State Government, Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies etc., are required to submit "NO OBJECTIO! CERTIFICATE" at the time of skill test/interview, failing which they will not be allowed to appear for the skill test/interview.
15.	Candidates belonging to SC/ST/OBC/EWS category should clearly indicate the same in the application (even when applying for UR vacancy) and should furnish proof of the same in the specified format <u>at the time of skill test/interview</u> failing which they will be treated as Unreserved (UR) and subsequent representations for change of community status will not be entertained.
16.	Candidates must regularly check the website. All information relating to the recruitment shall be made available on the website. Information displayed on the website shall be deemed as intimation to the candidates.
17.	Candidates while appearing for the Written Test/Skill Test/Interview must bring a print out of the admit card (to be downloaded from the website) along with the documents in support of identity proof (Aadhar Card/PAN Card/Driving License/Voter Card) in original.
18.	The applicants would be admitted to the examination on the basis of the information furnished by them in their application form and verification of the documents produced by them. In case it is found at a later stage that the information furnished by an applicant is false or an applicant does not fulfill any the eligibility conditions, the candidature of such applicant would be cancelled and no correspondence in this regard would be entertained. Issuance of a admit card for the examination will not confer any right for appointment. Appointment will be solely subject to fulfillment of all eligibility conditions
19.	Compensatory time for persons with disabilities shall be provided as per the extant orders of Government of India. Ex-servicemen who have alread secured employment in civil posts under Central Government in Group C posts on regular basis after availing of the benefits of reservation given to E servicemen for their re-employment are NOT ELIGIBLE for claiming benefits of reservation under Ex-servicemen category.
20.	WRITTEN EXAMINATIONS WILL BE CONDUCTED ATMUMBAI and CHENNAIonly.
21.	Skill Test (Stage-3) for Category-II will be conducted in Mumbai only.

COPIES OF CERTIFICATES TO BE SUBMITTED AT THE TIME OF SKILL TEST / INTERVIEW.

1.	Educational qualifications, experience (as applicable) and technical qualifications (supported by appropriate mark sheets* indicating the subjects offered at the examinations). (*Semester/Year wise mark sheets and consolidated mark sheet)
2.	Date of birth / Proof of age.
3.	SC/ST category (certificate should have been issued by the authorised authority in the prescribed format given at Annexure — 1*.The community should have been included in the Presidential orders in relation to the concerned state).

- 4. OBC candidate's caste certificate should be issued by an authorised authority in the prescribed format with non-creamy layer certificate and the caste/community should have been included in the Central lists of Other Backward Caste. The crucial date for determining the OBC non-creamy layer certificate will be the closing date of on-line application. The OBC candidates should also enclose self declaration of non-creamy layer status in the format as given in **Annexure-2***.
 - OBC for the purpose of AGE RELAXATION AND RESERVATION will mean "persons of OBC categories not belonging to the Creamy Layer" as defined in Government of India, Department of Personnel & Training OM No.36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08.09.93 and modified vide Government of India, Department of Personnel & Training OM No.36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 09/3/2004, OM No. 36033/3/2004 -Estt.(Res.) dated 14/10/2008, OM No. 36033/1/2013-Estt (Res.) dated 27/05/2013 and latest modification vide Government of India, Department of Personnel and Training OM No. 36033/1/2013-Estt (Res.) dated 13/09/2017(As per the format given in **Annexure-3***).
- 5. Disability Certificate from the appropriate authority regarding physical disability [as per the format given at **Annexure-4*** (applicable to persons with disability)].
 - 1. According to the persons with disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 1996 notified on 31/12/1996 by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 73 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996)], a disability certificate shall be issued by a Medical Board duly constituted by the Central or a State Government. The Central/State Government may constitute a Medical Board consisting of at least three members, out of which, at least, one member shall be a Specialist from the relevant field.
 - 2. The certificate would be valid for a period of 5 years for those whose disability is temporary. The Medical Board shall indicate the period of validity of the certificate where there are chances of variation in the degree of disability. For those who acquired permanent disability, the validity can be shown as permanent. On representation by the applicant, the Medical Board may review its decision having regard to all the facts and circumstances of the case and pass such orders in the matter as it thinks fit.
 - 3. Those SC/ST/OBC persons with disabilities selected on their own merit without relaxed standards along with other candidates will be considered against unreserved vacancies provided the post is identified for persons with disability of relevant category (as applicable).
- 6. Proof of the effect that they have been affected by 1984 riots (if claiming age relaxation).
- 7. **EWS (Economically Weaker Section) Reservation:** Candidates who are not covered under the scheme of reservation for SC/ST/OBC and whose family gross annual income is below Rs.8 Lakh (Rupees eight lakh) are to be identified as EWS for benefit of reservation for EWS. The income shall also include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. for the financial year prior to the year of application. Also candidates whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWS, irrespective of family income:
 - (i) 5 acres of agricultural land and above;
 - (ii) Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
 - (iii) Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
 - (iv) Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

The property held by a "Family" in different locations or different places/cities would be clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

The term "Family" for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

The benefit of reservation under EWS can be availed upon production of an Income and Asset Certificate issued by a Competent Authority. The Income and Asset Certificate issued by any one of the following authorities in the prescribed format as given in **Annexure 5*** shall only be accepted as candidate's claim as belonging to EWS:

- (a) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/1stClass Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Taluk Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner
- (b) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate
- (c) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar and
- (d) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.

The candidates applying against the vacancies reserved for EWS must possess Income and Asset Certificate as on closing date of registration of application. Further, these candidates are also required to produce valid Income and Asset Certificate during document verification. In case of non-compliance to these stipulations, their claim for reserved status under EWS will not be entertained and the candidature / application of such candidates, if fulfilling all the eligibility conditions for General (UR) category, will be considered under General (UR) vacancies only.

EWS status as on the closing date for online application for the advertisement shall only be considered for availing reservation benefits, if eligible. Any change in the community/EWS status of the candidate thereafter shall not be entertained

- 8. The candidates claiming relaxation under the category of 'Ex-Servicemen' are required to provide information in **Annexure 7**
- 9. Any other relevant certificates (as applicable).

*Annexures 1 to 7can be downloaded from the website < https://nrbapply.formflix.com>

WARNING:

1. Mere fulfilling of requirements as laid down in the advertisement does not qualify a candidate for a written test/interview. No correspondence will be entertained with candidates not selected.

2. Candidates will be shortlisted for Written Examination/Skill Test/Interview on the basis of the information provided by them in their online application. They must ensure that such information is true. If at any stage or at the time of interview, it is found that the information given by them or any claim made by them in their online application is false, their candidature will be liable to be rejected and also liable for any other appropriate action as deemed fit.

Record of the non-selected candidates shall not be preserved beyond 6 months from the date of formation of Select List&no correspondence from such candidates will be entertained thereafter.

CANVASSING IN ANY FORM SHALL BE A DISQUALIFICATION

For queries contact: 022-25597983/25597855/25597915



भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाभिकीय पुनश्चक्रण बोर्ड (नापुबोर्ड)



<u>खोले जाने की तिथि : 01.04.2022.</u> बंद किए जाने की तिथि: 30.04.2022. विज्ञापन सं.01/2022(एन.आर.बी.) "सरकार इस प्रकार के कार्यबल के लिए प्रयत्नशील है जिससे लैंगिक संतुलन बना रहे और इसलिए महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है" नाभिकीय पुनःचक्रण बोर्ड(ना.पु.बोर्ड), तारापुर, कल्पाक्कम एवंपीआरपीडी में वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षणार्थी श्रेणी-I/II के प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियोसे भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षणार्थी श्रेणी-। (ग्रूप-बी), पदों की कुल संख्या : 71 (अनारक्षित- 27, आर्थिक रूप से कमजोर अनुभाग-8, अपिजा-18, अजा-10, अजजा- 7 तथा 🛘 बैंच मार्च विकलांग-1) पदों की संख्या शैक्षणिक / तकनीकी अर्हताएँ अनारक्षित आकअ अपिजा अजा अजजा बैंच कुल विषय पद क्रं मार्च (ईडब्ल्यूएस) विक लांग 1 1 रासायनिक 2 0 0 0 रसायन अभियाँत्रिकी (केमिकल इंजिनियरिंग) में डिप्लोमा* 8 5 (केमिकल) रसायन 1.2 2 0 0 0 0 0 स्नातक (विज्ञान) में न्यनतम 60% अंक (रसायन विज्ञान मुख्य विषय के रूप में तथा भौतिक विज्ञान एवं गणित अन्य विषयों के रूप में।) 2 1.3 2 0 0 सिविल 1 0 5 सिविल अभियाँत्रिकी (सिविल इंजिनियरिंग) में डिप्लोमा* 1.4 2 1 6 2 2 0 13 विदय्त अभियाँत्रिकी (इलैक्ट्रिक्ल इंजिनियरिंग) में डिप्लोमा* विद्युत(इलेक्ट्रिकल) 1.5 1 0 1 0 04 इलैक्ट्रॉनिक तथा यंत्र / इलैक्ट्रॉनिक तथा संचार अभियाँत्रिकी (कम्युनिकेशन) में इलैक्ट्रॉनिक डिप्लोमा* 2 1# 16 इलैक्ट्रॉनिक तथा यंत्र (इलैक्ट्रॉनिक और इंस्ड्रमेंटेशन)/ यंत्र अभियाँत्रिकी(इंस्ड्रमेंटेशन यंत्र(इंस्ट्रमेंटेशन) 07 इंजीनियरिंग)/ यंत्र प्रौदयोगिकी(इंस्हूमेंटेशन टेकनोलॉजी)/ यंत्र तथा नियंत्रण अभियाँत्रिकी (इंस्ड्रमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग) में डिप्लोमा* 32 1.7 14 याँत्रिक अभियाँत्रिकी (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) में डिप्लोमा* याँत्रिक (मैकेनिकल) *एसएससी के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त या एचएससी के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त। डिप्लोमा में न्यूनतम 60% अंकों का पूर्णयोग होना चाहिए। #यहपदबेंचमार्कविकलांगतावालेट्यक्तियों - अस्थिजन्य- आर्थोपेडिकरूपसे-एक पैरविकलांगता (ओएच-ओएल) केलिएचिहिनतहै। वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षणार्थीत्रेणी-॥पदों की कुल संख्या ः ा89(अनारक्षित- 118, आर्थिक रूप से कमजोर अनुभाग-14, अपिजा-33, अजा-23तथा 🛚 बैंचमार्च विकलांग-1) व्यवसाय का विषय पदों की संख्या शैक्षणिक / तकनीकी अर्हताएँ पद कं (टेड) अपिजा बैंचमार्च अनारक्षित आकअ अजा कुल विकलांग (ईडब्ल्यूएस) वातान्कूलन याँत्रिक 10 0 3 2 0 15 पद क्रं 2.1से 2.8 तक के लिए (ए/सी मैकेनिक) न्यूनतम 60% अंकों के पूर्णयोग सहित एस.एस.सी.(विज्ञान और गणित सहित) और वातानुकूलन 2.2 याँत्रिक(ए/सी मैकेनिक); विद्युत; इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री (मैकेनिक); फिटर ; यंत्र मिस्त्री (इंस्ट्रूमेंट विदयुत 16 0 3 6 0 25 2.3 इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री 13 3 1(a) 18 मैकेनिक); यंत्रकर्मी(मशीनिस्ट); टर्नर; झालक (वेल्डर);में व्यवसाय प्रमाण पत्र । उम्मीदवारों को संबंधित व्यवसाय प्रमाण पत्र के मामले में निम्न आवश्यकताओं में से किसी एक को पूरा करना होगा :-(मैकेनिक) 1)दो वर्ष की अवधि का एनटीसी (आईटीआई से उत्तीर्ण)। 2.4 46 8 9 3 0 66 फिटर 2.5 8 2 2 0 यंत्र मिस्त्री (इंस्ह्रमेंट 1 13 2) प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत दो वर्ष की अवधि का एनएसी। मैकेनिक) 2.6 2 2 0 यंत्रकर्मी(मशीनिस्ट) 11 3) एक वर्ष की अवधि का एनटीसी (आईटीआई से उत्तीर्ण) तथा इस पाठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात 2.7 0 4 0 0 0 4 एक वर्ष का कार्यानुभव। 2.8 झालक (वेल्डर) 0 0 0 0 3 4) एक वर्ष की अवधि का एनटीसी (आईटीआई से उत्तीर्ण) तथा प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष की अवधि का एनएसी।

2.9	प्रारूपकार (याँत्रिक)	2	0	0	0	0	2	<u>पद क्रं 2.9 हेत्</u>
	ड्राफ्टसमेन (मैकेनिकल)							
								एच.एस.सी. (भौतिकी, रसायन एवं गणित विषयों के साथ) ।
								तथाड्राफ्ट्समेन (याँत्रिक) में एक वर्ष का प्रमाणपत्र।
								राज्यसरकारकेतकनीकीशिक्षाबोर्डयाआईटीआईद्वाराजारी।
2.10	प्रयोगशाला सहायक	0	0	2	2	0	4	न्यूनतम 60% अंकों के पूर्णयोग सहित विज्ञान धारा में एच.एस.सी. (भौतिकी, रसायन एवं गणित
								विषय के साथ) ।
								अथवा
								न्यूनतम 60% अंकों के पूर्णयोग सहित एस एस सी तथा प्रयोगशाला सहायक में व्यवसायप्रमाणपत्र।
								उम्मीदवारों को व्यवसाय प्रमाणपत्र के संबंध में निम्न आवश्यकताओं में से किसी एक को पूरा करना
								होगा :-
								1) दो वर्ष की अवधि का एनटीसी (आईटीआई से उत्तीर्ण)।
								अथवा
								2) प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत दो वर्ष की अवधि का एनएसी।
								अथवा
								3) एक वर्ष की अवधि का एनटीसी (आईटीआई से उत्तीर्ण) तथा इस पाठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात
								एक वर्ष का कार्यानुभव।
								अथवा
								4.एक वर्ष की अवधि का एनटीसी (आईटीआई से उत्तीर्ण) तथा प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत
								न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का एनएसी।
2.11	संयंत्र प्रचालक	10	4	9	5	0	28	न्यूनतम 60% अंकों के पूर्णयोग सहित विज्ञान धारा में एच.एस.सी. (भौतिकी, रसायन एवं गणित
								विषयों के साथ)।
								, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2.11	संयंत्र प्रचालक	10	4	9	5	0	28	अथवा 4.एक वर्ष की अवधि का एनटीसी (आईटीआई से उत्तीर्ण) तथा प्रशिक्ष प्रशिक्षण योजना के अं न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का एनएसी। न्यूनतम 60% अंकों के पूर्णयोग सहित विज्ञान धारा में एच.एस.सी. (भौतिकी, रसायन एवं ग

शैक्षणिक / तकनीकी अर्हता (योग्यता) केंद्र अथवा राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / तकनीकी शिक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि : 30.04.2022

(a) यह पद बैंचमार्क विकलांगता -अस्थिजन्य-आर्थोपेडिकरूपसे-एकपैरविकलांगता (ओएच-ओएल)

केलिएचिह्नितहै।बेंचमार्कविकलांगतावालेव्यक्तिकाअर्थहैएकव्यक्तिजिसकीनिर्दिष्टविकलांगता40% सेकमनहींहै।

आयुसीमा: (दिनांक 30.04.2022 को।)

आयु	श्रेणी-I	श्रेणी-2
न्यूनतम	18 वर्ष	18 वर्ष
अधिकतम	24 वर्ष	22 वर्ष

टिप्पणी:एसएससी/ मेट्रीकुलेशन/ एचएससी प्रमाणपत्र या समुचित सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। जन्म तारीखमेंकिसीभीपरिवर्तनकेलिएकियागया उत्तरवर्ती अनुरोध पर विचार नहींकियाजाएगा।

सरकारी नियम के अनुसार उक्तनिर्धारितऊपरीआयुसीमा में निम्नानुसार छूट दी जाएगी :

- क) अजा/अजजावर्ग के अभ्यर्थी को अधिकतम5वर्षोंतक और अपिव वर्ग के अभ्यर्थी को अधिकतम 3 वर्षों तक।
- ख) 1984 केदंगोंमेंमारेगएव्यक्तियोंकेबच्चों / परिवारकेसदस्योंको ऊपरीआयुसीमामें5 वर्षकीछूटस्वीकार्यहै।

ग)सरकारी नियमानुसार **बैंचमार्च**विकलांग अभ्यर्थियों को आयु में छूट दी जाएगी।

- घ) विधवा, तलाकशुदा महिलाएं और न्यायिक तरीके से अपने पति से अलग होने के बाद फिर से शादी नहीं करने वाली महिलाएं, सरकारी आदेश के अनुसार
- ऊपरी आयु सीमा में छूट के लिए पात्र हैं।-<mark>केवल वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षणार्थीश्रेणी-2 के अंतर्गत पदों के लिए (यथा क्रमांक 2.1 से 2.11 तक)।</mark>
- ङ)अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित (यूआर) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के पदों के आवेदन के लिए आयुसीमा में कोई छूट लागू नहीं है।

शारीरिक मानदंड : न्यूनतमकद160सें.मी., न्यूनतमवजन45.5िकलोग्राम

(यदिअभ्यर्थी अन्य रूप सेचिकित्सीय दृष्टि से उपयुक्त पायागयातोउपर्युक्तशर्तीमेंछूटदीजासकतीहै।)

प्रशिक्षण अवधि की कुल कालावधि: दो वर्ष।

प्रशिक्षण के दौरान वृत्तिका:

वृत्तिका (प्रतिमाह)	श्रेणी-I	श्रेणी-II
1 ^{थमं} वर्ष	`16000/-	`10500/-
2 ^{तीय} वर्ष	`18000/-	`12500/-

चयन विधि

श्रे<mark>णी-।:</mark> एक घंटे की अवधि की लिखित परीक्षा ली जाएगी तथा इसमें 40 वस्तुनिष्ठ (बहु-विकल्पीय) प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए '3'अंक दिए जाएँगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए'1' अंक काटा जाएगा। कथित परीक्षा का पाठ्य विवरण यथास्थिति डिप्लोमा/ स्नातक (विज्ञान) के विषयों पर आधारित होगा। लिखित परीक्षा में अईता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु लघु-सूचीबद्ध किया जाएगा। नापुबोर्ड के पास साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की संख्या सीमित करने का अधिकार सुरक्षित है।

अभ्यर्थीकाअंतिमचयनसाक्षात्कारमेंनिष्पादनकेआधारपरहीकियाजाएगा।

श्रेणी-II:चयन प्रक्रिया में त्रि-चरणीय परीक्षाएँ होंगी – चरण 1, चरण 2 तथा चरण 3.

चरण1 - प्रारंभिक परीक्षा: अभ्यर्थियों को लघु-सूचीबद्ध के लिए छानबीन परीक्षा ली जाएगी। छानबीन परीक्षा का आरूप (फॉरमेट) सभी व्यवसायों के लिए समान होगा तथा निम्नलिखित आरूप (फॉरमेट) में होगा।

- 1. परीक्षा में एक घंटे की अवधि के लिए 50 बहु-विकल्पीय (4 उत्तरों का विकल्प) प्रश्न निम्नलिखित अनुपात में होंगे :
 - a. गणित 20 प्रश्न
 - b. विज्ञान 20 प्रश्न
 - c. सामान्य बोध 10 प्रश्न
- 2. 🛾 प्रत्येक सही उत्तर के लिए '3' अंक दिए जाएँगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए'1' अंक काटा जाएगा ।
- 3. सामान्य वर्ग में मार्क<40% वाले तथा आरक्षित वर्ग में <30% वाले सभी अभ्यर्थियों की छुँटनी की जाएगी।

चरण 2- प्रगत परीक्षाः

- 1. चरण-1 में छाँट कर लिए गए सभी अभ्यर्थियों को उनके संबंधित व्यवसाय में चरण-2 (प्रगत परीक्षा) में भाग लेने दिया जाएगा।
- 2. दो घंटे की अवधि की परीक्षा में 50 बहु-विकल्पीय प्रश्न (4 उत्तरों का विकल्प) होंगे।
- 3. प्रत्येक सही उत्तर के लिए '3' अंक दिए जाएँगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए '1' अंक काटा जाएगा।
- 4. सामान्य वर्ग में मार्क<30% वाले तथा आरक्षित वर्ग में <20% वाले सभी अभ्यर्थियों की छुँटनी की जाएगी।
- चरण-2 के बाद अभ्यर्थियों की योग्यता-क्रमसूची तैयार की जाएगी तथा यह केवल चरण-2 के प्राप्तांकों पर ही आधारित होगी।
- 6. अंक बराबर होने की स्थिति में, योग्यता-क्रमसूची में स्थिति का निर्धारण करने के लिए अनुक्रम में निम्नलिखित मापदंड अपनाया जाएगा :
- (1) चरण-2 में कम नकारात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को योग्यता-क्रमसूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा।
- (2) चरण-1 में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को योग्यता-क्रमसूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा।
- (3) चरण-1 में कम नकारात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को योग्यता-क्रमसूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा।
- (4) चरण-1 में गणित में अधिक सकारात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को योग्यता-क्रमसूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा।
- (5) चरण-1 में विज्ञान में अधिक सकारात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को योग्यता-क्रमसूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा।
- (6) आवेदन की तिथि को जिस अभ्यर्थी की अधिक आयु होगी।

अभ्यर्थियों की प्रारंभिक तथा प्रगत परीक्षा एक ही दिन ली जाएगी।

चरण 3- कौशल परीक्षा:

- 1. चरण-2 के बाद तैयार योग्यता-क्रमसूची के आधार पर, प्रत्येक व्यवसाय हेतु चरण-3 (कौशल परीक्षा) के लिए अभ्यर्थियों को लघु-सूचीबद्ध किया जाएगा।
- कौशल परीक्षा के लिए लघु-सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की संख्या चरण 2 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यथियों की संख्या पर निर्भर करेगी, लेकिन प्रत्येक व्यवसाय में रिक्तियों की संख्या के 4-5 गुने से अधिक नहीं होगी। नापुबोर्ड के पास चरण-3 के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित करने का आधिकार सुरक्षित है।
- 3. अभ्यर्थियों की अर्हकता संबंधी कौशल परीक्षा गति-गतिरुद्ध (गो-नो गो) पर आधारित होगी।
- 4. 🏻 कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को लघु-सूचीबद्ध तथा नामिकायन किया जाएगा, जो चरण 2 के प्राप्तांक पर आधारित योग्यता के क्रम में होगा।
- मुख्य सूची में नामिकागत अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों से अधिक नहीं होगी।
- 6. मुख्य सूची के अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभारग्रहण करने के लिए रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में, केवल कार्रवाई (ऑपरेशन) करने के लिए ही, मुख्य सूची के अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी।

प्रशिक्षण का क्षेत्र : प्रत्येक अनुशासन/ व्यवसाय के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार संबंधित अनुशासन/ व्यवसाय के विभिन्न पक्षों में तथा ना.पु.बोर्ड, तारापुर / कल्पाक्कम की कड़ी आवश्यकताएँ पूरा करने के लिए, कल्पाक्कम/ तारापुर तथा पीआरपीडी, कलपाक्कम में प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को किसी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम/ प्रशिक्षण-स्थल का चयन/विकल्प लेने नहीं दिया जाएगा।

सफलतापूर्वकप्रशिक्षणपूराकरनेपर पदक्रम (ग्रेड):सफलतापूर्वकप्रशिक्षणपूराकरनेपरप्रशिक्षणार्थियोंको उनकीप्रशिक्षण की अवधिकेदौरानएवंप्रशिक्षणकेअंतमें होने वाले साक्षात्कारमें उनके निष्पादनकेआधारपर नियुक्तिकेसमय निम्नलिखित पदक्रम (ग्रेड) में सेकिसीएकमेंआमेलनहेतु विचारिकयाजाएगा:

वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षणार्थी	पद	वेतन का स्तर (लेवल)	प्रविष्टि के समय का वेतन	
-------------------------------	----	---------------------	--------------------------	--

श्रेणी-।	वैज्ञानिक सहायक/सी (समूह बी अराजपत्रित)	स्तर (लेबल) 7	₹. 44900
श्रेणी-2	तकनीकविद/बी	स्तर (लेवल) 3	₹. 21700
ત્રળા-∠	तकनीकविद/सी (समूह सी)	स्तर (लेवल) 4	₹. 25500

प्रविष्टि के समय के वेतन के अतिरिक्त, केंद्रसरकारकेनियमोंकेअधीन भत्ते स्वीकार्य हैं।

अभिभावी अतिरिक्त सुविधाएँ:

नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य सामान्य वेतन एवं भत्तों के अलावा, परमाणु ऊर्जा विभाग के कर्मचारी निम्नलिखित के भी हकदार होंगे :

- ✓ कार्य का उत्साहजनक वातावरण।
- पऊवि की योग्यता पदोन्नित योजना के अंतर्गत शामिल उच्चतर पदक्रमों (ग्रेडों) में पदोन्नित।
- ✓ स्वयं तथा परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य देखरेख।
- ✓ आकर्षक कार्यनिष्पादन से संबंधित प्रोत्साहन।
- ✓ आकर्षक व्यावसायिक अद्यतन भत्ता।
- ✓ स्वयं के लिए तथा अपने परिवार के लिए छुट्टी यात्रा रियायत।
- ✓ भारत सरकार के आदेशों के अनुसार, अनुशिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति/ विभागीय आवास।

चयनित अभ्यर्थी, अपनी नियुक्ति होने पर, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से शासित होंगे।

बंधपत्र (बॉन्ड) : चयनितअभ्यर्थियोंकोबाँडभरनाहोगाकिवेप्रशिक्षणपूराकरेंगेऔरयदिउन्हेंप्रशिक्षणपूराहोनेपर नियुक्ति काप्रस्तावदियाजाताहैतोवे ना.पु.बोर्ड, भापअकेंद्र या परमाणुऊर्जाविभागकीकिसीसंघटकइकाईमें आमेलन केपश्चात3 वर्षतककार्यकरेंगे। जोप्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणपूराकरनेअथवा नियुक्ति प्रस्ताव दिए जाने पर 3 वर्षतकसरकारीसेवाकरनेमेंअसफलरहेंगे, उन्हें प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्राप्त की गई वृत्तिका की कुल राशि तथा उस पर ब्याज के बराबर की राशि का भुगतान सरकारको करना होगा।

कार्यभार (ड्यूटी) की प्रकृति :चयनित अभ्यर्थियों को नापुबोर्ड, भापअकेंद्र, तारापुर/ कलपाक्कम/ मुंबई तथा इसकी संघटक इकाइयों में पदस्थ किए जाने की संभावना है।

	श्रेणी-।					
पद कर्मांक विषय कर्मांक विषय						
1.1	रासायनिक (केमिकल)	प्रक्रम संयंत्र का प्रचालन।				
1.2	रसायन	प्रयोगशाला उपस्कर तथा रासायनिक वैश्लेषिक कार्य का प्रचालन।				
1.3	सिविल	सिविल निर्माण कार्य।				
1.4	विद्युत(इलेक्ट्रिकल)	उपकेंद्र/ उच्च विभव (एचटी)/ निम्न विभव (एलटी) उपस्कर का प्रचालन तथा अनुरक्षण।				
1.5	इत्रैक्ट्रॉनिकी	इलैक्ट्रॉनिक यंत्रों का अनुरक्षण।				
1.6	यंत्र(इंस्ट्रमेंटेशन)	प्रक्रम यंत्रों का अनुरक्षण।				
1.7	याँत्रिक (मैकेनिकल)	तंत्रों का प्रचालन, संविरचन तथा अनुरक्षण तथा संयंत्र उपयोगिता तंत्र, सामग्री हस्तन उपस्कर का अनुरक्षण।				

		श्रेणी-2
पद क्रं	व्यवसाय (ट्रेड)	कार्यभार (ड्यूटी) की प्रकृति
2.1	ए/सी मैकेनिक	वातानुकूलन तंत्र का प्रचालन तथा अनुरक्षण।
2.2	विद्युत	उपकेंद्र (सब स्टेशन) और अन्य प्रतिष्ठानों में विद्युत उपस्कर तथा अनुषंगियों का उन्निर्माण, प्रचालन तथाअनुरक्षण।
2.3	इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री (मैकेनिक)	इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर/ दूरसंचार तंत्रों का संविरचन, अनुरक्षण तथा प्रचालन।
2.4	फिटर	याँत्रिक उपयोगिता तंत्रों का प्रचालन,संविरचन एवं अनुरक्षण ।
2.5	यंत्र मिस्त्री (इंस्ड्रमेंट मैकेनिक)	मापयंत्रन प्रणाली का प्रचालन तथा अनुरक्षण ।
2.6	यंत्रकर्मी(मशीनिस्ट)	मिलिंग, ड्रिलिंग, खराद और आकार देने की मशीन का प्रचालन।
2.7	टर्नर	खराद देने की मशीन का प्रचालन तथा अन्य अनुरक्षण संकर्म।
2.8	झालक (वेल्डर)	गैस कर्तन (कटिंग) तथा झालन संकर्म।
2.9	प्रारूपकार (याँत्रिक) ड्राफ्टसमेन (मैकेनिकल)	कंप्यूटर समर्थित सममित रेखाचित्र, आदि।
2.10	प्रयोगशाला सहायक	रासायनिक वैश्लेषिक संकर्मों में सहायता ।
2.11	संयंत्र प्रचालक	रेडियो-रासायनिक संयंत्र तथा प्रचालन की प्रक्रिया में सहायता।
	टिप्प	णी:- कार्य-भार (ड्यूटी) में रात-दिन (राउंड द क्लॉक)/ सामान्य पारी में कार्य करना सम्मिलित होगा।

ना.पु.बोर्ड (कल्पाक्कम/ मुंबई/ तारापुर) तथा पीआरपीडी, कलपाक्कम में निम्नलिखित पदों के लिए सीधी भर्ती (डीआर) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पदों की कुल संख्या: 06[समूह बी-1 तथा समूह सी-5] (अनारक्षित- 2, आर्थिक रूप से कमजोर अनुभाग-1, अजा-2,तथा बैंचमार्च विकलांग-1)

		पदों की संख्या							शैक्षणिक / तकनीकी अर्हताएँ
पद क्र.	पद का नाम	अनारक्षित	आकअ (ईडब्ल्यूएस)	अजा	अजजा	अपिव	बैंचमार्चवि कलांग	कुल	
		1	0	0	0	0	0	01	किसी भी अभियाँत्रिकी में डिप्लोमा (न्यूनतम 50%
सीधी भर्ती	वैज्ञानिक								अंककेपूर्णयोगसहित) या स्नातक (विज्ञान) (न्यूनतम 50%
(डीआर)/	सहायक/बी								अंककेपूर्णयोगसहित)
01	(संरक्षा)								तथा
									औद्योगिक संरक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र।
सीधी भर्ती	तकनीकविद	0	0	0	0	0	1	01	एस एस सी (न्यूनतम 50% अंककेपूर्णयोगसहित)
(डीआर)/	/बी						*श्रवि		तथान्यूनतम 60% अंकों के पूर्णयोग सहित विज्ञान धारा में
02	(पुस्तकालय						(अंब)		एच.एस.सी. (भौतिकी, रसायन एवं गणित विषयों के साथ) ।
	विज्ञान)								<u>पुस्तकालय विज्ञान</u> में एक वर्षीय डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र-
									राज्यसरकारकेतकनीकीशिक्षाबोर्डयाआईटीआईद्वाराजारी।
सीधी भर्ती	तकनीकविद /	1	1	0	2	0	0	04	एस एस सी (न्यूनतम 50% अंककेपूर्णयोगसहित)
(डीआर)/	बी (रिगर)								तथान्यूनतम 60% अंकों के पूर्णयोग सहित विज्ञान धारा में
03									एच.एस.सी. (भौतिकी, रसायन एवं गणित विषयों के साथ) ।
									<u>रिगर व्यवसाय</u> में एक वर्षीय डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र-
									राज्यसरकारकेतकनीकीशिक्षाबोर्डयाआईटीआईद्वाराजारी।

*सीधी भर्ती(डीआर)/ 02 बेंचमार्क विकलांगों – श्रवण विकलांगता (श्रवि/एचएच) – अंशत: बधिर (अंब/पीडी) के लिए चिह्नित हैं। श्रवण दोष का अर्थ है आवृत्तियों के संवादी दायरे में बेहतर कान में 60 डेसीबल या इससे अधिक का ह्रास।

<u>मानदंड</u>:

(1)<u>दिनांक 30.04.2022 को</u>आयु सीमा:

आयु	DR/1	DR/2 & DR/3
न्युनतम	18	18
अधिकतम	30	25

<u>टिप्पणी</u>:जन्म प्रमाणपत्र/ स्कूलछोड़नेकाप्रमाणपत्रअथवासमतुल्यप्रमाणपत्रमें इंगितजन्मतारीखही स्वीकार्य की जाएगी। जन्म तारीखमेंकिसीभीपरिवर्तनकेलिए किए गए उत्तरवर्ती अनुरोध पर विचार नहींकियाजाएगा।

(2) प्रचलित सरकारी नियम के अनुसार उक्तनिर्धारितऊपरीआयुसीमा में निम्नानुसारख्लूट दी जाएगी :

क) अजा/अजजावर्ग के अभ्यर्थी को अधिकतम5वर्षोंतक और अपिव वर्ग के अभ्यर्थी को अधिकतम 3 वर्षों तकऔरलागृनियमोंकेअनुसारपीडब्ल्यूडीउम्मीदवारोंकोआयुमेंछूट।

ख)एक ही उसी कार्य क्षेत्र में या संबद्ध संवर्ग (काडर) में तीन (3) वर्ष की सतत सेवा करने वाले विभागीय अभ्यर्थियों (केंद्र सरकार के असैनिक कर्मचारीगण) के लिए, आयु की ऊपरी सीमा सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक, अन्य पिछड़ी जाति अभ्यर्थियों के लिए 43 वर्ष तथा अजा/अजजा अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष होगी।

ग) सरकारी आदेशों के अनुसार विधवा, तलाकशुदा महिलाएँ और न्यायिक तरीके से अपने पित से अलग होने के बाद फिर से शादी नहीं करने वाली महिलाएँ, आयु की ऊपरी सीमा में छूट के लिए पात्र हैं। - केवल सीधी भर्ती वाले पदों के लिए(यथा पद क्र.डीआर/03).

घ) सरकारी आदेशों के अनुसार पूर्व सैनिकों के लिए छूट होगी।

ड)भारत में वर्ष 1984 केदंगोंमेंमारेगएव्यक्तियोंकेबच्चों / परिवारकेसदस्योंको आयु की ऊपरी सीमामें5 वर्षकीछूट स्वीकार्य होगी।

<u>चयन विधि:</u>

- (1) सीधी भर्ती/01 के पद के लिए चयन क्रियाविधि वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षणार्थी (श्रेणी-1) के पदों के समान ही होगी।
- (2) सीधीभर्ती/02 केपद केलिएचयनक्रियाविधिवृत्तिकाग्राहीप्रशिक्षणार्थी (श्रेणी-2) केपदोंकेसमानहीहोगी।इसमेंचरण: 3 कौशल परीक्षा नहीं होगी। कौशल परीक्षा

(3) सीधीभर्ती/03केपद के लिएचयनक्रियाविधिवृत्तिकाग्राहीप्रशिक्षणार्थी (श्रेणी-2) केपदोंकेसमानहीहोगी।

(जैसा पृष्ठ सं. 2 तथा 3 में बताया गया है।)

परिलब्धियाँ :

पद क्र.	पद	वेतन में स्तर (लेवल)	प्रविष्टि के समय वेतन
डीआर/1	वैज्ञानिक सहायक/बी (संरक्षा)	स्तर (लेवल)6	₹.35400
डीआर/2	तकनीकविद/ बी (पुस्तकालय विज्ञान)	स्तर (लेवल)3	₹. 21700
डीआर/3	तकनीकविद/बी (रिगर)	स्तर (लेवल) 3	₹.21700

प्रविष्टि के समय वेतन के अतिरिक्त, केंद्रसरकारकेनियमोंकेअधीन भक्ते स्वीकार्य हैं।

कर्तव्यों (ड्यूटी) की प्रकृतिः

पद सं.	पद का नाम	कर्तव्यों (ड्यूटी)की प्रकृति
सीधी भर्ती(डीआर)/ 01	वैज्ञानिक सहायक/बी (संरक्षा)	संयंत्र तथा कार्यस्थल की संरक्षा का पर्यवेक्षण करना।
सीधी भर्ती(डीआर)/ 02	तकनीकविद / बी (पुस्तकालय विज्ञान)	पुस्तकें तथा दस्तावेजों की व्यवस्था/ पुन: प्राप्ति, अभिलेख का अनुरक्षण, आदि।
सीधी भर्ती(डीआर)/ 03	तकनीकविद / बी (रिगर)	सामग्री हस्तन मशीनरी, भारी सामान हस्तन, आदि का अनुरक्षण।

आवेदन करने की प्रक्रिया :

- 1. **आवेदन केवल ऑनलाईन"**https://nrbapply.formflix.com" लिंक पर किया जाए।
- 2. ऑनलाइन आवेदन की स्विधा दिनांक 01.04.2022से खुलेगी।
- 3. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए <u>https://nrbapply.formflix.com</u>वेबसाईट देखें । आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे हमारी वेबसाइट के होमपेज पर प्रदत्त अनुदेश पढ़ें।
- 4. एक पद के लिए केवल एक आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी एकाधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक पद के लिए पृथक से आवेदन तथा शुल्क जमा करना होगा।

अभ्यर्थियों को यह हिदायत दी जाती है कि वे आवेदन समय रहते अग्रिम रूप से पहले ही भर दें और अंतिम तारीख (30.04.2022)समाप्त होने तक प्रतीक्षा न करें।

आवेदन शुल्क: आवेदन शुल्क का भुगतान की रीति ऑनलाइन के माध्यम सेहोगी।

- (1) पद सं.1.1से 1.7 तक तथा सीधी भर्ती (डीआर)/1 के लिए रू.150/-
- (2) पद सं.2.1से 2.11 तक तथा सीधी भर्ती (डीआर)/2 तथा सीधी भर्ती (डीआर)/3 के लिए रू रू.100/-

<u>छ्ट</u>:

- (1) अजा/ अजजा, विकलांग (पी डब्ल्यू डी) तथा महिला वर्ग के अभ्यर्थियों को श्लक से छूट है।
- (2) पूर्व सैनिक (केवल सीधी भर्ती/1 से सीधी भर्ती/3तक के लिए)के अभ्यर्थियों को शुल्क से छूट है।

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के बाद निर्मित आवेदन संख्या की आवश्यकता आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए पड़ेगी तथा इसीलिए आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने से पहले आवेदन जमा करना अनिवार्य है। लेकिन,शुल्क का भुगतान 'नहीं'करने पर आवेदन को अपूर्ण माना जाएगा तथा इसलिए आवेदन रद्द कर दिया जाएगा ।

ऑनलाइन आवेदनों के प्राप्त होने की अंतिम तारीख तक अथवा इससे पूर्व आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया जाए।उम्मीदवारोंकोसलाहदीजातीहैकिवेऑनलाइनआवेदनजमाकरनेकीअंतिमतिथि/अंतिमतिथिकीप्रतीक्षाकिएबिनाअग्रिमरूपसेऑनलाइनभुगतानकरदें।

सामान्य शर्ते :

1	ऊपर दर्शाई गई रिक्तियाँ अनंतिम एवं परिवर्तन के अधीन हैं । विज्ञापन में दी गई रिक्तियों की भर्ती सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन भी है और सरकार द्वारा समय-
	समय पर जारी आदेशों के अनुसार यदि दूसरा निर्णय लिया जाता है, तो इन्हें नहीं भरा जाएगा ।
2	<u>प्रतीक्षा सूची</u> के अंतर्गत सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को <u>केवल तभी</u> नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा जब <u>मुख्य सूची</u> का अभ्यर्थी कार्यग्रहण नहीं करता।
3	<u>प्रतीक्षा सूची</u> के कार्यशील रहने की विधिमान्यता चयन पैनल तैयार होने की तारीख से एक वर्ष तक रहेगी।
4	अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा / व्यवसाय-जन्य परीक्षा (ट्रेड टेस्ट)/ साक्षात्कार में प्रश्नों के उत्तर हिंदी या अँग्रेजी में देने का विकल्प दिया जाएगा। (जैसा लागू हो।)
5	विज्ञापन में विहित किए गए अनुसार, अनुभव की अवधि सहित पात्रता के मानदंड का निर्धारण आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि (दिनांक 30.04.2022) के संदर्भ में किया जाएगा। (जैसा लागू हो।)
6	लिखित परीक्षा हेतु बाह्य स्थान से बुलाए गए अजा/अजजा अभ्यर्थियों को आने-जाने के लिए सबसे छोटे मार्ग के द्वितीय श्रेणी के रेल भाड़े का यात्रा भत्ता का भुगतान
	नियमानुसार किया जाएगा, जो टिकट प्रस्तुत करने के अधीन होगा। लेकिन, जो अजा/अजजा के अभ्यर्थी पहले ही केंद्र/राज्य सरकार की सेवाओं में, केंद्र/राज्य सरकार के
	निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय सरकारी संस्थानों तथा पंचायतों में कार्यरत हैं तथा लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए रेलवे से यात्रा संबंधी कोई रियायत ले
	चुके हैं, उन्हें यात्रा भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। < https://nrbapply.formflix.com > से यात्रा भत्ता (टीए) का फॉर्म डाउनलोड करें। यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति अजा/अजजा का
	स्व-अनुप्रमाणित जाति प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करने के अधीन होगी। इस प्रयोजन के लिए, अनुरोध है कि अनुलग्नक-6 डाउनलोड कर के उसमें सूचना दें।
	(<https: nrbapply.formflix.com=""></https:>
7	अभ्यर्थी सही जानकारी भरना सुनिश्चित करें। गलत सूचना देने वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षा / साक्षात्कार के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
	इसके आगे, नापुबोर्ड, भापअकेंद्र के पास किसी भी चरण में किसी भी आवेदक की अभ्यर्थिता (उम्मीदवारी) को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
8	अभ्यर्थियों के पास विधिमान्य ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर होना चाहिए । इन्हें इस भर्ती की प्रवर्तनावधि के दौरान क्रियाशील रखा जाए ।
9	नापुबोर्ड, भापअ केंद्र के पास बिना सूचित किए अथवा बिना कोई कारण बताए पद भरने अथवा संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया रद्द करने/ प्रतिबंधित करने/ संशोधित करने/ परिवर्तित
	करने का अधिकार सुरक्षित है। नापुबो/भापअकेंद्र के पास किसी भी चरण में किसी भी आवेदक की अभ्यर्थिता (उम्मीदवारी) स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित है।
10	इस मामले में बाद में किसी भी उत्तरवर्ती संशोधन/आशोधन, आदि को केवल भापअकेंद्र की वेबसाइट यथा https://nrbapply.formflix.com पर अधिसूचित किया जाएगा,
	जिसका संदर्भ अभ्यर्थी नियमित रूप से लेना होगा।

11	चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती सक्षम प्राधिकारी के विवेक और रिक्ति की उपलब्धता के अनुसार होगी। वे भारत के किसी भी भाग में तथा परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी संघटक इकाई में कार्य करने के लिए बाध्य होंगे।
12	जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख (30.04.2022) तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं की है या नहीं करेंगे, वे आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है ।
13	यदि विश्वविद्यालय/बोर्ड श्रेणी (ग्रेड) पत्र/ सीजीपीए/ ओजीपीए /एसजीपीए प्रदान करता है, तो उस विश्वविद्यालय/बोर्ड के अपनाए मानदंडों के अनुसार इनके समकक्ष अंकों का प्रतिशत सूचित करना आवश्यक है । यदि अंकों का प्रतिशत नहीं दर्शाया जाता है,तो अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा।
14	केंद्र / राज्यसरकार, सार्वजनिकक्षेत्रकेउपक्रमों, स्वायत्तनिकायोंआदिकेतहतकामकरनेवालेउम्मीदवारोंकोकौशलपरीक्षा / साक्षात्कारकेसमय "अनापत्तिप्रमाणपत्र" जमाकरनाआवश्यकहै, ऐसानकरनेपरउन्हेंकौशलपरीक्षा / केलिएउपस्थितहोनेकीअनुमतिनहींदीजाएगी।साक्षात्कार।
15	अजा/ अजजा/ अपिजा/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन में इसे (अपने वर्ग के विषय में) स्पष्ट रूप से इंगित करें (अनारक्षित रिक्ति हेतु आवेदन करते समय भी) और कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के समय निर्धारित आरूप (फॉरमेट) में इसका साक्ष्य प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर उन्हें अनारक्षित (यूआर) माना जाएगा और बाद में जाति संबंधी प्रस्थिति के परिवर्तन हेतु किसी भी उत्तरवर्ती अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
16	अभ्यर्थी वेबसाईट नियमित रूप से देखते रहें। वेबसाइट पर इस भर्ती से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध रहेगी। वेबसाइट पर प्रदर्शित सूचना को अभ्यर्थियों को दी गई सूचना माना जाए।
17	लिखित परीक्षा/ कौशल परीक्षा/ साक्षात्कार के समय, अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र (वेबसाइट से डाउनलोड कर के) का प्रिंट आउट तथा पहचान साक्ष्य के समर्थन में (आधार कार्ड/ पेन कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेन्स/ मतदाता पत्र) की मूल प्रति लाना होगा ।
18	आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं उनके द्वारा प्रस्तुत सत्यापन संबंधी दस्तावेजों के आधार पर ही परीक्षा में प्रवेश करने दिया जाएगा। यदि बाद की किसी अवस्था में यह पाया जाता है कि आवेदन के द्वारा प्रस्तुत सूचना मिथ्या है या आवेदक पात्रता संबंधी किसी शर्त को पूरा नहीं करता है, तो ऐसे आवेदक की अभ्यर्थिता (उम्मीदवारी) रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र का जारी किया जाना, नियुक्ति हेतु कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा। पात्रता संबंधी सभी शर्तों को पूरा करने के आधार पर ही नियुक्ति पूर्णतया निर्भर करेगी।
19	विकलांगों के लिए प्रतिपूरक समय, भारत सरकार के विद्यमान आदेशों के अनुसार दिया जाएगा। जिन पूर्व सैनिकों ने अपने पुनः नियोजन हेतु पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभों का उपयोग कर के नियमित आधार पर ग समूह के पदों में केंद्र सरकार के अधीन असैनिक (सिविल) क्षेत्र में पहले ही रोजगार ले लिया है, वे पूर्व सैनिकों की <u>श्रेणी के तहत आरक्षण के लाभों का दावा करने के पात्र नहीं होंगे।</u>
20	लिखित परीक्षा का संचालन मुंबई तथा चेन्नईमें किया जाएगा । वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षणार्थी श्रेणी-॥ की कौशलपरीक्षा (स्टेज-3) केवलमुंबईमेंआयोजितकीजाएगी।
22	वृत्तिकाग्राहा प्रशिक्षणार्थी श्रेणी-। का साक्षात्कारकेवलमुंबईमेंआयोजितकीजाएगी। वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षणार्थी श्रेणी-। का साक्षात्कारकेवलमुंबईमेंआयोजितकीजाएगी।

कौशल परीक्षा/ साक्षात्कार के समय जमा किए जाने वाले प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ।

1.	शैक्षणिक योग्यता, अनुभव यथा लागू एवं तकनीकी योग्यताएँ (परीक्षा के विषयों की सूचना देने वाली समुचित अंकपत्रों* से समर्थित।)
	(*सत्र/सत्रार्ध/वर्ष वार अंकसूचियाँ तथा समेकित अंकपत्र)
2.	जन्मतिथि/ आयु का प्रमाण।
3.	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग [अनुलग्नक-1* में प्रदत्त निर्धारित आरूप (फॉरमेट) में जाति प्रमाणपत्र प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए।* राष्ट्रपति के आदेशों में संबंधित राज्य के अंतर्गत उस जाति/समुदाय को शामिल होना चाहिए।]
4.	अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी का जाति प्रमाणपत्र निर्धारित आरूप (फॉरमेट) में प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ तथा अ-नवोन्नत वर्ग प्रमाणपत्र के साथ होना चाहिए और केंद्र की सूचियों की अन्य पिछड़ी जाति में यह जाति/समुदाय सिम्मिलित होना चाहिए। अन्य पिछड़ा जाति के नवोन्नत वर्ग के प्रमाणपत्र का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि होगी। अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी को अनुलग्नक-2* में प्रदत्त आरूप (फॉरमेट) में अ-नवोन्नत वर्गकी स्व-घोषणा भी संलग्न करना होगा। आयु में छूट एवं आरक्षण के प्रयोजन हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग का अर्थ होगा: "अन्य पिछड़ी जाति के वर्ग के लोग, जो नवोन्नत वर्ग से संबंधित नहीं हैं", जैसा भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन क्र. 36012/22/93-स्था.(एससीटी) में परिभाषित है तथा इस संबंध में भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.03.2004 के संशोधित कार्यालय ज्ञापन क्र. 36033/3/2004-स्था.(आरईएस), दिनांक 14.10.2008 के संशोधित कार्यालय ज्ञापन क्र. 36033/1/2013-स्था.(आरईएस), दिवांक 27.05.2013 के संशोधित कार्यालय ज्ञापन क्र. 36033/1/2013-स्था.(आरईएस) देखें तथा भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.09.2017 के नवीनतम संशोधित कार्यालय ज्ञापन क्र. 36033/1/2013-स्था.(आरईएस)देखें। [अनुलग्नक-3* में प्रदत्त निर्धारित आरूप (फॉरमेट) के अनुसार]

- 5. शारीरिक विकलांगता के बारे में समुचित प्राधिकारी से विकलांगता प्रमाणपत्र [अनुलग्नक-4*प्रदत्त आरूप (फारमेट) के अनुसार(विकलांगों पर लागू)]
 - 1. विकलांग (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) नियमावली, 1995 (1996 के 1) के अनुभाग 73 के उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा 31/12/1996 को अधिसूचित विकलांग (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) नियमावली, 1996 के अनुसार, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित चिकित्सा मंडल (बोर्ड) द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र। केंद्र/ राज्य सरकार न्यूनतम तीन सदस्यों से युक्त चिकित्सा मंडल (मेडिकल बोर्ड) का गठन कर सकती है, जिसमें से न्यूनतम एक सदस्य संबंधित क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा।
 - 2. प्रमाणपत्रउनलोगोंकेलिए पाँच (5) वर्षकीअवधिकेलिएमान्यहोगा, जिनकीविकलांगताअस्थायीहै। यदि विकलांगता के अंश मेंभिन्नताकीसंभावनाहै, तो मेडिकलबोर्डप्रमाणपत्रकी विधिमान्यता कीअवधिकोइंगितकरेगा। जो स्थायी रूप से विकलांग हैं, उनके लिए विधिमान्यता कोस्थायीकेरूपमेंदिखायाजासकताहै। आवेदकद्वारा अभ्यावेदन देने पर, मेडिकलबोर्डमामलेकेसभीतथ्योंऔरपरिस्थितियोंकेसंबंधमेंअपनेनिर्णयकीसमीक्षाकरसकताहै और उस मामलेमेंऐसेआदेशपारितकरसकताहै, जैसा वहउचितसमझता हो।
 - 3.अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन लोगों का चयन उनकी अर्हता (योग्यता) के आधार पर मानकों में कोई छूट दिए बिना अन्य अभ्यर्थियों के साथ किया जाएगा, उनका चयन अनारक्षित रिक्तियों के लिए माना जाएगा, बशर्ते वह पद संबंधित वर्ग के विकलांगों के लिए चिह्नित न किया गया हो। (यथा लागू)।
- 6. वर्ष 1984 के दंगों से प्रभावित होने का प्रमाण (यदि आयु में छूट का दावा किया गया है।)।
- 7. ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर अनुभाग) आरक्षण : जो अभ्यर्थी अजा/ अजजा/ अपिव हेतु आरक्षण की योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं तथा जिनकी पारिवारिक सकल वार्षिक आय रू.8 लाख (रूपए आठ लाख) से कम है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के लाभार्थ ईडब्ल्यूएस के रूप में चिह्नित किया जाएगा। आय के अंतर्गत सभी स्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, वृत्ति, आदि से होने वाली आय भी शामिल की जाएगी तथा यह आवेदन करने के वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों के परिवार के पास या कब्जे में निम्नलिखित में से कोई संपत्ति है, उन्हें भी, उनकी पारिवारिक आय कम होने के बावजूद, ईडब्ल्यूएस के रूप में चिह्नित नहीं किया जाएगा।
 - i. पाँच (5) एकड़ कृषि भूमि और ऊपर;
 - ii. 1000 वर्ग फुट और इससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
 - iii. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और इससे अधिक का आवासीय भूखंड;
 - iv. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और इससे अधिक का आवासीय भूखंड।

ईडब्ल्यूएस की प्रस्थिति का निर्धारण करने के लिए भूमि या संपत्ति के स्वामित्व की जाँच हेतु आवेदन करते समय, विभिन्न अवस्थितियों या विभिन्न स्थानों/ स्थलों में "परिवार" की संपत्ति को जोड़ा जाए।

इस प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ लेता हो और उसके माता-पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु के सहोदर के साथ-साथ उसके विवाहिती तथा संतान भी शामिल होंगे।

ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर के लिया जा सकता है। **अनुबंध 5*** में प्रदत्त निर्धारित आरूप (फारमेट) में निम्नलिखित में से किसी एक अधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाणपत्र ही ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने के रूप में अभ्यर्थी (उम्मीदवार) के दावे के रूप में स्वीकार किया जाएगा :

- क) जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ प्रथम श्रेणी के वैतनिक (संबलग्राही) मजिस्ट्रेट/ उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
- ख) मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।
- ग) तहसीलदार की श्रेणी से नीचे का राजस्व अधिकारी नहीं हो।
- घ) उसक्षेत्रकेउप-विभागीयअधिकारी, जहाँ अभ्यर्थी (उम्मीदवार) और/ या उनकापरिवार सामान्यत: रहतेहैं।

ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के सामने आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों (उम्मीदवारों) के पास आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि को आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके आगे, इन अभ्यर्थियों (उम्मीदवारों) को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान विधिमान्य आय और संपत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता है। इन अनुबंधों का अनुपालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस की आरक्षित प्रस्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और सामान्य (अनारक्षित : यूआर) वर्ग के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करने पर ऐसे अभ्यर्थियों (उम्मीदवारों) की अभ्यर्थिता (उम्मीदवारी)/ आवेदन पर सिर्फ सामान्य (अनारक्षित : यूआर) वर्ग की रिक्तियों के लिए ही विचार किया जाएगा।

यदि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संबंधी लाभ लेने के लिए पात्रता है, तो इस विज्ञापन के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को ईडब्ल्यूएस संबंधी प्रस्थिति पर ही विचार किया जाएगा। इसके बाद, अभ्यर्थी के समुदाय/ ईडब्ल्यूएस संबंधी प्रस्थिति में किसी भी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।

- 8. 'पूर्व सैनिक' वर्ग के तहत छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संलग्नक 7
- 9. अन्य संबंधित प्रमाणपत्र।(यथा लागू)

*अनुलग्नक 1 से 7 तक वेबसाइट < https://nrbapply.formflix.com >से डाउनलोड किया जा सकता

<u>चेतावनी</u>:

1. केवल विज्ञापन में उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा करने मात्र से ही कोई अभ्यर्थी चयन के योग्य नहीं हो जाएगा । जो अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए नहीं चुने जाएँगे उनके साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

2.लिखित परीक्षा/ कौशल परीक्षा/ साक्षात्कार हेतु, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर लघुसूचीकृत किया जाएगा । उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि दी गई सूचनाएं सही हैं । यदि किसी अवस्था में अथवा साक्षात्कार के समय यह पाया जाता है कि उनके ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना अथवा उनके द्वारा किए गए दावे मिथ्या/गलत हैं तो उनकी अभ्यर्थिता (उम्मीदवारी) रद्द कर दी जाएगी और जैसा उपयुक्त होगा, वैसा उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई भी की जाएगी ।

जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं होता है ,उनके अभिलेखों को चयन सूची के प्रकाशित होने की तारीख से 6 माह तक की अवधि से अधिक नहीं रखा जाएगा तथा इसके बाद ऐसे अभ्यर्थियों से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

किसी भी प्रकार के पक्ष-प्रचार को अयोग्यता माना जाएगा

पूछताछ के लिए यहाँ संपर्क करें : 022-25597983/25597855/2559715